

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंडी - रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हेठा सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हेठा कुल भूमि 1.180 हेठा सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंडी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.00 से 1.925 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा।


अमौन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर